

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं.: 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ई मेल:—jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(लिंक नं. 12724 / 2013) / अलेसे-गा / 313

दिनांक : २५-२-२०२३

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्र. सं.	लिंक नं.	नाम क. लेखाकार	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	12724	कविता रानी, कनि० लेखाकार	M.Com Economic (स्वयंपाठी)	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम-1, बीकानेर।

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :—

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो उक्त स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्णानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और उस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

अधिकारी
 (भूपेश माथुर)
 निदेशक एवं पदेन
 संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.4(ई)(लिंक नं. 12724 / 2013) / अलेसे-गा / 313

दिनांक : २५-२-२०२३

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. कार्यालय न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम-1, बीकानेर।
2. कविता रानी, कनि० लेखाकार कार्यालय न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम-1, बीकानेर।
3. निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


 (के. जी. गुप्ता)
 अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-गा/गा)